



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223862
CG-DL-E-22122020-223862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4078]
No. 4078]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/Pausha 1, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सं. 47 / 2015–2020

विषय: मेडिकल गॉगल्स और नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स की निर्यात नीति में संशोधन।

का. आ. 4641(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा मेडिकल गॉगल्स और नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स के निर्यात से संबंधित आईटीसी (एचएच) निर्यात नीति 2018 की अनुसूची-2 को संशोधित करने वाली अधिसूचना सं. 21 / 2015–20 दिनांक 28.07.2020 और अधिसूचना सं. 42 / 2015–20 दिनांक 22.10.2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

क्रम सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
207 क	9018	मेडिकल गॉगल्स	प्रतिबंधित	मुक्त
	3926904015	नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स	प्रतिबंधित	मुक्त

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

मेडिकल गॉगल्स और नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स की निर्यात नीति सभी प्रकार के मेडिकल गॉगल्स और नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स को मुक्त रूप से निर्यात करने योग्य बनाते हुए 'प्रतिबंधित' से 'मुक्त' श्रेणी में संशोधित की गई है।

[फा. सं. 01/91/180/21/एम 20/ईसी/ई-21933]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi the 22nd December, 2020

No.47/2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Medical Goggles and Nitrile/NBR Gloves.

S.O. 4641(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in the **Notification No. 21/2015-20 dated 28.07.2020** and **Notification No. 42/2015-20 dated 22.10.2020** amending the Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy 2018 related to the export of Medical Goggles and Nitrile/NBR Gloves:

Serial Number	ITC HS Codes	Description	Present Policy	Revised Policy
207A	9018	Medical Goggles	Restricted	Free
	392690	Nitrile/NBR Gloves	Restricted	Free
	4015			

2. **Effect of this Notification:**

The export policy of Medical Goggles and Nitrile/NBR Gloves is amended from 'Restricted' to 'Free' category making all types of Medical Goggles and Nitrile/NBR Gloves freely exportable.

[F. No. 01/91/180/21/AM20/EC/E-21933]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade, Ex-Officio Addl. Secy.